डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

आ0 सं0– 02 स्था0/02/19/.........88........./ रा.प्र.के.कृ.वि.,   पूसा, दिनांक 09/06/2021

आदेश

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुई दिनांक 08.06.2021 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या– जी0/आपदा/06–02/2020– 3039 पटना दिनांक 08.06.2021 में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 09.06.2021 से निम्नलिखित शर्तों के साथ विस्तारित किया जाता है :–

1. दिनांक 02.06.2021 से विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय खुलेगें। ग्रेड पे रू0 7600/– एवं उसके उपर के वेतन पानेवाले जो पदाधिकारी/शिक्षक एवं वैज्ञानिक प्रत्येक दिन कार्यालय में उपस्थित रहेगें। रू0 7600/– से नीचे के ग्रेड पे पानेवाले कर्मचारियों का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत 50 प्रतिशत रोस्टर के अनुकूल कार्यालय में उपस्थित रहेगें।
2. विश्वविद्यालय कार्यावधि पूर्वाहन 9.30 बजे से बिना लंच ब्रेक के 2.30 बजे अपराह्न तक रहेगा। यह व्यवस्था 30 जून, 2021 तक रहेगी। कार्यालय में बाह्य आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।
3. मुजफफरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एवं पटना नगर से आने–जाने वाले शिक्षकों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों 11 जून, 2021 तक अपने अर्जित अवकाश पर रहना रहेगें। दिनांक 14.06.2021 को अपना योगदान देगें। योगदान के समय 72 घंटे पूर्व का आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। बिना निगेटिव रिपोर्ट के उन्हें योगदान नहीं करने दिया जाएगा न हीं परिसर में घुसने की अनुमति होगी।
4. जो भी कर्मचारी लॉकडाउन के दरम्यान अपने पदाधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यालय से बाहर रहे हैं वे भी पहुँचने के उपरांत वे 7 दिनों तक अपने आवासित आवास में कोरोटीन रहेगें एवं योगदान के समय 72 घंटे पूर्व का आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
5. विश्वविद्यालय मुख्यालय प्रशासनिक भवन एवं शिक्षण प्रांगण के सभी महाविद्यालयों का डाक एवं संचिकाएँ सुरक्षा शाखा द्वारा पूसा स्थित अन्य कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। संबंधित डाक एवं संचिका प्युन बुक आदि सुरक्षा शाखा में जमा करेगें।
6. आवश्यक सेवा जैसे विश्वविद्यालय अस्पताल/ सुरक्षा शाखा/ सम्पदा शाखा/ पूसा प्रक्षेत्र/ कुक्कुट एवं पशु प्रक्षेत्र (दूध के कूपन के आपूर्ति के साथ)/ मधुमक्खी पालन/ अतिथि भवन/ किसान घर/ टीशुकल्चर लैब/ फोडर मैनेजमेंट/ मशरूम ईकाई/ ईख अनुसंधान संस्थान के लैब एवं कल्याणपुर प्रक्षेत्र के क्रॉप मैनेजमेंट/ हाईटेक हॉर्टीकल्चर/ सब्जी उत्पादन/ सभी प्रकार के शोध/एक्सपेरिमेंट/ केन्द्रीय भंडार का सभी प्रकार का क्रय कार्य ऑनलाईन/ सभी प्रकार के निर्माण कार्य एवं बीज प्रोसेसिंग/ निदेशालय, बीज/ अभियंत्रण शाखा (जल प्रबंधन)/ विद्युत शाखा/एरिस सेल इत्यादि कार्य यथावत् चलते रहेंगे।
7. सभी प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम यथावत ऑनलाइन के माध्यम से चलते रहेंगे।
8. विश्वविद्यालय में नियोजित सभी आकस्मिक/संविदाकर्मी प्रत्येक कार्यावधि में कार्यालय में उपस्थित रहेगें।
9. लॉकडाउन अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में शादी समारोह वर्जित रहेगा।
10. शिक्षक एवं वैज्ञानिकगण जो ग्रेड पे 7600/– से नीचे वेतन पाते हैं वे आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित रहेगें।
11. लॉकडाउन अवधि में मुजफफरपुर, दरभंगा एवं समस्तीपुर से प्रतिदिन आने–जाने वाले शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों अगर वे मुख्यालय प्रांगण में रहना चाहेगें तो उनके अनुरोध पर अतिथि भवन या किसान घर में कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वे अतिथि भवन/ किसान घर में रहने के पूर्व 72 घंटे पूर्व का आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आवेदन अग्रसारित कर प्रस्तुत करना होगा।
12. छवनिया मोड़ पर बरगद पेड़ के पास जो वेरियर लगाया गया है वे बंद रखेगें एवं गाड़ियों के आवागमन के समय ही खोला जाएगा एवं गाड़ी पास करने के बाद बंद किया जाएगा।

13. नियंत्री पदाधिकारियों, कुलसचिव, नियंत्रक, सभी अधिष्ठाता/ निदेशक, उप कुलसचिव, स्थापना, उप कुलसचिव नियुक्ति एवं उप कुलसचिव, अकादमिक को कार्यालय कार्य हेतु विश्वविद्यालय प्रागंण के अन्य कार्यालयों में आने–जाने हेतु अनुमति दी जाती है उन्हें सुरक्षा शाखा के कर्मियों द्वारा बिना रोक–टोक के उनकी गाड़ी सहित गेट से आने–जाने की अनुमति रहेगी।

14. पूर्व निर्गत आदेश में आवागमन हेतु जो पावंदियॉ लगायी गयी है वे दिनाक 30 जून, 2021 तक यथावत जारी रहेगा।

15. परिसर निवासी कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत निर्देशित यथा मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धोना आदि का अक्षरशः पालन करें।

पैरा 13 में उल्लिखित अधिकारियों के अलावा किसी को पूर्वाहन 9.30 बजे से अपराह्न 2.30 बजे के बीच में परिसर से बाहर जाने या वापस आने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मी को आवश्यक कार्य है तो वह अपने नियंत्री पदाधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर अनुमति लेकर उसे गेट पर दिखाकर बाहर जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधान के अन्तर्गत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

09/6/21

उप कुलसचिव (स्था0)

09/06/21

प्रतिलिपिः–

सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/सभी नियंत्री पदाधिकारी/विभाग प्रधान/प्रभारी एरिस सेल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एरिस सेल को उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्बन प्रति– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।